Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक
Human Resource Management Department / मानव संसाधन प्रबंध विभाग
Guwahati / गुवाहाटी

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर, जी.एस. रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी में वी ओ एफ/टी एच एच के लिए वार्षिक रखरखाव (हाउसकीपिंग) और खानपान सेवा अनुबंध के लिए ई-निविदा

ई-निविदा नं: आर.बी.आई/गुवाहाटी/मासंप्रावि/3/24-25/ET/102

ई-निविदा संख्या आर.बी.आई/गुवाहाटी/मासंप्रावि/3/24-25/ET/102 दिनांक 28 जून 2024 के संदर्भ में, वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, गुवाहाटी पर 12 जुलाई 2024 को 11:00 बजे एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बैंक और संभावित निविदाकारों के प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

i. बैंक अधिकारी:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम
1	सुश्री जीनिया बरुआ	सहायक महाप्रबंधक
2	श्री उदित जयसवाल	सहायक प्रबंधक
3	श्री अभिषेक शुक्ला	सहायक
4	श्री जितुल हाज़ोवरी	सहायक

ii. संभावित निविदाकारों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	एजेंसी/फर्म/कंपनी का नाम
1	श्री विश्वनाथ कमठ श्री सुभाष चौधरी	राजू कैटरर्स

2. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रश्न/प्रस्ताव	बैंक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण
1	एजेंसी के पास वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैलेंस शीट नहीं है क्योंकि इसे बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि यानी 25 जुलाई, 2024 के बाद की तारीख में तैयार किया जाएगा। क्या एजेंसी वित्त वर्ष 2023-24 के	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रोविजनल बैलेंस शीट प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसे मामलों में सफल निविदाकर्ता को अनुबंध दिए जाने के बाद अंतिम बैलेंस शीट जमा करना आवश्यक है।

	दौरान अपने लाभ के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकती है?	
2	कवर में सील किया गया बैंकर प्रमाण पत्र किसे संबोधित किया जाना चाहिए?	अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र को एक सीलबंद लिफाफे में अनुबंध-III के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो की भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी को संबोधित हो।
3	क्या ग्राहक प्रमाणपत्र प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त करने की आवश्यकता है?	हाँ, ग्राहक के लेटर हेड पर ग्राहक प्रमाण पत्र को निविदाकर्ता के प्रत्येक ग्राहक के लिए अनुलग्नक-II के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4	प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी कब प्रस्तुत की जानी चाहिए?	प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा कार्य शुरू करने से पहले या तो एनईएफटी के माध्यम से अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध-V में विनिदष्ट फार्मेट के अनुसार किया जाना चाहिए।
5	क्या मासिक वेतन के लिए बोली गुवाहाटी क्षेत्र के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए?	जनशक्ति मासिक प्रभार गुवाहाटी (यानी, क्षेत्र बी) पर लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्र सरकार) के अनुसार होगा।
6	क्या एजेंसी को प्रसाधन किट की लागत वहन करने की आवश्यकता है जो मेहमानों को प्रदान की जाएगी।	बोलीदाता, निविदा दस्तावेज के भाग-I, खंड V के पैरा 10 का संदर्भ ले।

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी संभावित निविदाकारों की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा बनेंगे। इसलिए, इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित बाकी नियम और शर्तें और विशिष्टताएं वही रहेंगी। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना ऊपर दिए गए बोली दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर पूर्वी राज्य